कलेक्ट्रट सभाकक्ष में दिनांक 06–08–2021 को आयोजित
जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 06–08–2021 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यो के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमे निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. श्री तेजप्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
2. श्री डी.के.सिहं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
3. श्री विपिन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
4. श्री ज्ञान सिहं, सहायक अभियन्ता, जल निगम; कासगंज।
5. श्री सजन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
6. श्री राजेन्द्र सिहं, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
7. श्री खुर्शीद आलम, जू0इं0, जल निगम, कासगंज।
8. श्री आर.के.जैन, सहायक प्रबन्धक, पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा0लि0, आगरा।
9. श्री रविन्द्र पाण्डे, आयन एक्सचेन्ज संस्था।
10. श्री रौनक अली, क्वालिटी कन्ट्रोल इंजी0, आरवी एसोसियेट, (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन)।
11. श्री योगेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, जनहितकारी सेवा समिति, रामनगर कालोनी, अलीगढ।
12. श्री कैलाश चन्द्र (अध्यक्ष), द्वारिका प्रसाद जन जागरण समिति, बिलराम गेट कासगंज।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओ की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिये।

बिन्दु सं0 1– जनपद कासगंज में नई पेयजल योजनाओं के अधिष्ठापन हेतु नामित फर्म पी.एन.सी. के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कुल 391 ग्रामों की डी.पी.आर. के सापेक्ष 14 नग डी.पी.आर. जल निगम के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. की धीमी प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया। जिस पर पी.एन.सी. द्वारा आगामी बैठक से पहले 14 के अतिरिक्त 25 नग डी.पी.आर. जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया तथा पी.एन.सी. द्वारा यह भी बताया गया कि पेयजल योजनाओं की चयनित भूमि का Bearing capacity test किया जा रहा है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भूमिधारण क्षमता की जॉच प्रगति बढाने का निर्देश दिया गया। पी.एन.सी. द्वारा अवगत कराया गया, कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पारही है। उसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया, कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराते हुये व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये।

बिन्दु सं0 2– आयॅन एक्सचेन्ज द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 09 नग डी.पी.आर. के सापेक्ष पूर्व में उनके द्वारा 06 डी.पी.आर. प्रस्तुत की जा चुकी है। शेष 3 डी.पी.आर. जल निगम कार्यालय में निरीक्षण हेतु जमा की गई थी। जिनको जल निगम ने निरीक्षण उपरान्त त्रुटियॉ बता कर वापिस कर दिया गया है। आयॅन एक्सचेन्ज द्वारा आश्वासन दिया गया कि तीनों डी.पी.आर. की त्रुटियो का निराकरण करके दो दिन के अन्दर पुनः जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

बिन्दु सं0 3– टी.पी.आई. मै0 आर0वी0 एसोसियेट के प्रतिनिधि श्री रौनक अली द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा पूर्व में कियाशील कुल 23 रेट्रोफिटिंग की योजनाओं में होने वाले कार्यो का गुणता निरीक्षण सुचारू रूप से किया जा रहा है। तथा कार्यो की कमियों को इंगित कर उनका निराकरण कराया जा रहा है।

letter

बिन्दु सं0 4— मीटिंग में उपस्थित दोनों आई.एस.ए. संस्थाओं क्रमशः द्वारिका प्रसाद जन जागरण समिति, बिलराम गेट कासगंज एवं जनहितकारी सेवा समिति, रामनगर कालोनी, अलीगढ के अध्यक्ष अपने समस्त स्टॉफ के साथ उपस्थित रहे। द्वारिका प्रसाद जन जागरण समिति, बिलराभ गेट कासगंज के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि कासगंज विकास खण्ड के चार ग्राम तिलसई कलॉ, ढिलावली, भैसोरा बुजुर्ग एवं किसरोली में जल समिति बना दी गई है। इस मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामों मे जल समिति बनाने के कार्य की प्रगति को बढाने का निर्देश दिये। दोनों संस्थाओं को निर्देशित किया गया अपना अपना स्टॉफ कार्यो की योग्यता को ध्यान में रखकर चयनित करे। जिससे कार्यो को संस्थाओं द्वारा सही रूप से क्रियान्वित किया जा सके। जनहितकारी सेवा समिति के अध्यक्ष को समिति के लेखाकार की समुचित योग्यता न होने के कारण बदलने के निर्देश दिये। साथ ही दोनों संस्थाओं को अपने अपने स्टॉफ को समय समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये। तथा नियुक्त समस्त स्टॉफ को नियुक्ति पत्र देने को निर्देशित किया।

बिन्दु सं0 5— मुख्य विकास अधिकारी से अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन हेतु विचार विमर्श किया गया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनॉक 11–08–2021 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी व प्रधान को सूचित कर उक्त दिनॉक पर विकास भवन में उपस्थित रहकर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कराने हेतु निर्देशित किया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(तेज प्रताप मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज

पत्रांक 1262 / कार्यवृत्त / 30 दिनॉक 16-08-21
पृ0सं0 एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम, आगरा।
4. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, कासगंज।
6. मै0 पी.एन.सी.इन्फ्राटेक प्रा0लि0 आगरा/मै0 आर्यन एक्सचेन्ज, अलीगढ।
7. मै0 द्वारिका प्रसाद, जन कल्याण समिति, कासंगंज/मै0 जनहितकारी सेवा समिति, अलीगढ।
8. मै0 आरवी एसोसियेट, अलीगढ।

मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज
16/8/2021

letter